राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा), बाड़मेर

क्रमांक : प. 35( )आ.प्र. एवं सहा./2075/2020/8315 दिनांक : 22/7/2020

प्रेषितः–

शासन सचिव
आ0 प्र0 सहा0 एवं ना0 सु0 विभाग,
राज0 जयपुर

विषयः अभाव संवत् 2075 में संचालित राहत गतिविधियां यथा घोषित पशुशिविर, पशुशिविर (लघु एवं सीमान्त काश्तकारों एवं लघु एवं सीमान्त काश्तकारों से भिन्न अन्य काश्तकारों के लिये) एवं चारा परिवहन हेतु बजट आंवटन करवाने बाबत् ।

प्रसंगः शासन सचिव, आ.प्र.सहा.एवं ना.सु. विभाग, राज.जयपुर के पत्रांक 9098–99 एवं 9100–08 दिनांक 26.06.2020

अभाव संवत् 2075 के दौरान आ.प्र.सहा. एवं ना.सु. विभाग, राज. जयपुर के पत्रांक 5(3)आ.प्र. सहा/पशुशिविर/2019/1226–50 दिनांक 05.02.2019 एवं पत्रांक 5(3)आ.प्र.सहा/चाराडिपो/2019/1646–49 दिनांक 14.02.2019 द्वारा अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत गतिविधियां यथा पशुशिविर, चारा डिपो खोले जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये है, जिसकी अनुपालना में बाड़मेर जिले में राहत गतिविधियों का संचालन ग्राम सेवा सहकारी समिति/ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया गया।

अभाव संवत् 2075 के दौरान संचालित राहत गतिविधियां यथा घोषित पशुशिविर, पशुशिविर (लघु एवं सीमान्त काश्तकारों एवं लघु एवं सीमान्त काश्तकारों से भिन्न अन्य काश्तकारों के लिये) एवं किये गये चारा परिवहन के बकाया विपत्रों के संबंध में निवेदन इस प्रकार है कि मार्च,2020 के दौरान राज्य मद में आंवटित बजट वित्त विभाग से फ्रीज होने के कारण, चारा अकालग्रस्त जिलों से क्रय किये जाने के कारण, कोविड–19 मार्च के अन्त में क्रियाशील होने के कारण एवं अन्य कारणों से संचालित राहत गतिविधियों के विपत्र भुगतान होने से बकाया रह गये । विभाग के संदर्भित पत्रांक द्वारा शिथिलता प्राप्त होने पश्चात् इस कार्यालय द्वारा समस्त उपखण्ड अधिकारियों से बकाया विपत्रों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट चाही गई, जिसके आधार पर निम्नानुसार बजट आंवटित करवाने का श्रम करावें :–

क्र. सं.	उपखण्ड कार्यालय का नाम	बकाया विपत्रों की मांग			बकाया रहने के कारण
		पशु शिविर (SMF)	पशु शिविर (OSMF)	चारा परिवहन	
1.	बाड़मेर	324728.00	580586.00	1707933.00	चारा अभावग्रस्त जिलों से क्रय करने के कारण एवं राज्य मद में आंवटित बजट वित्त विभाग द्वारा फ्रीज किये जाने के कारण
2.	बालोतरा	6867840.00	3734618.00	4327903.00	बिल तैयार कर उपकोष कार्यालय बालोतरा में भिजवाने के पश्चात् उपकोष कार्यालय द्वारा बिलों को प्रक्रिया में नही लिये एवं गौशला द्वारा विपत्रों को समय पर प्रस्तुत नही किये जाने के कारण
3.	चौहटन	201790.00	1484522.00	176412.00	बिल तैयार कर उपकोष कार्यालय चौहटन में प्रस्तुत कर दिये गये थे परन्तु उपकोष कार्यालय द्वारा बिलों को प्रक्रिया में नही लिये जाने के कारण

4.	गुड़ामालानी	709008.00	178560.00	96343.00	तत्काल में चारा उपलब्ध करवाये जाने के कारण टोल प्लाजा की पर्चियां नही होने एवं चारा अभावग्रस्त जिलों से क्रय किये जाने के कारण
5.	सिणधरी	727861.00	1755766.00	658244.00	विभागीय निर्देशानुसार बजट आंवटन केन्द्रीय मद में 75 प्रतिशत एवं राज्य मद 25 प्रतिशत के अनुसार किये जाने के कारण केन्द्रीय मद 75 प्रतिशत तक का भुगतान कर दिया गया परन्तु राज्य मद 25 प्रतिशत में बजट आंवटन नही होने के कारण
6.	बायतु	0.00	90480.00	43538.00	अभावग्रस्त जिलों से चारा क्रय किये जाने के कारण
7.	शिव	0.00	0.00	786261.00	
8.	सिवाना	94590.00	333287.00	191064.00	
	योग	**8925817.00**	**8157819.00**	**7992948.00**	

भवदीय,

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर
आ.प्र.सहा. एवं ना. सुरक्षा, बाड़मेर

क्रमांक : प. 35( )आ.प्र. एवं सहा. / 2075 / 2020 / 8316 दिनांक : 22 / 7/2020

प्रतिलिपि – निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. संयुक्त शासन सचिव, आ. प्र. सहा. एवं ना. सु. विभाग, राज. जयपुर ।
02. वित्तीय सलाहकार, आ. प्र. सहा. एवं ना. सु. विभाग, राज. जयपुर ।
03. संभागीय आयुक्त, जोधपुर ।
04. उपखण्ड अधिकारी (समस्त) ।

जिला कलक्टर
आ.प्र.सहा. एवं ना. सुरक्षा, बाड़मेर